राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम, 1996

ये नियम अनुकंपात्मक आधार पर, मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित की नियुक्ति को शासित करेंगे और ये किसी पद विशेष के लिये कोई अधिकार प्रदान नहीं करेंगे।

नियुक्ति हेतु आवश्यकताएं - राज्य कर्मचारी जो स्थायी या नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा था या तत्काल अस्थायी नियुक्ति पर नियमित रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्त किया गया था और जिसने एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली थी, अखिल भारतीय सेवाओं का सदस्य जो राजस्थान राज्य के संवर्ग में सम्मिलित है, जिसका वेतन राज्य की समेकित निधि के प्रति विकलनीय था और जिसकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके किसी एक आश्रित को नियुक्ति प्रदान की जा सकती है।

मृत वर्कचार्ज कर्मचारियों के आश्रितों पर भी अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम लागू होंगे।

(प.5(51)कार्मिक/क-2/88 दि. 19.9.2003)

ये नियम लागू नहीं होंगे, जहाँ पति या पत्नी का कोई एक पुत्र, अविवाहित पुत्री, दत्तक पुत्र/पुत्री केन्द्र/राज्य सरकार/केन्द्र या राज्य सरकार के अधीन बोर्ड/निगम में, कर्मचारी की मृत्यु के समय या आश्रित की नियुक्ति के समय तक नियोजित हो, परन्तु उक्त शर्त वहाँ लागू नहीं होगी, जहाँ मृतक की पत्नी स्वयं के लिये नियोजन प्राप्त करती है। (नियम-5, आ.दि. 8.4.2015)

मृत सरकारी कर्मचारी के ऐसे पुत्र जिसकी पत्नी/पुत्र/ अविवाहित पुत्री पहले से नियोजित है को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नहीं मिलेगी। (प.5(51)कार्मिक/क-2/88 पार्ट दिनांक 31.5.2016)

दो से अधिक संतान होने पर नियुक्ति के लिये अपात्र होने का प्रावधान अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम के तहत विधवा पर लागू नहीं होगा। (एफ. 7(1)कार्मिक/क-2/95 दि. 29.10.05)

अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु कोई आश्रित 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व किन्तु 16 वर्ष की आयु प्राप्ति के पश्चात् आवेदन कर देता है तो उसका प्रकरण कार्मिक विभाग को शिथिलता हेतु प्रेषित किया जावे।

(प-12(7) कार्मिक/क-2/2014 दिनांक 22.6.2015)

पदों का चयन - आश्रित को उसकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार और सेवा की अन्य शर्तों की पूर्ति करने पर अधीनस्थ सेवाओं/मन्त्रालयिक सेवाओं/चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले केवल ग्रेड वेतन 3600 तक (लेवल 1 से 11 तक) के पदों पर, मृतक कर्मचारी के द्वारा धारित पद और प्रास्थिति को विचार में लाये बिना, नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा। परन्तु अनुकम्पात्मक नियुक्ति के समय कम्प्यूटर की योग्यता होना आवश्यक नहीं है। नियम-6

(एफ3(1)कार्मिक/क-2/2013 दिनांक 2.1.2017)
(एफ 5(51) कार्मिक/क-2/88 दिनांक 3.7.2019)

अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी को सेवा में तीन वर्ष के भीतर स्थाईकरण के लिये प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या हिन्दी/अंग्रेजी में कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाती है। इस अवधि में निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करनेपर इस अवधि में वृद्धि नहीं की जायेगी। इस अवधि के पश्चात् शिथिलता हेतु कार्मिक विभाग सक्षम है।

कर्मचारी जब तक ऐसी अर्हता अर्जित नहीं कर लेता है तब तक उसे कोई वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

ऐसी अर्हताएं अर्जित करने पर उसे नियुक्ति की तारीख से काल्पनिक रूप से वार्षिक ग्रेड वेतनवृद्धियां अनुज्ञात की जावेगी किन्तु कोई बकाया भुगतान देय नहीं होगा।

अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त सभी आश्रित विधवा महिलाएं कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर टंकण परीक्षा तथा विकलांग भाषा विभाग की कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा से मुक्त होंगे। -नियम-9

(प. 5(51) कार्मिक/क-2 दिनांक 13.5.2011 एवं 14.6.2013)
(एफ 3(1)कार्मिक/क-2/2013 दिनांक 2.1.2017)

ऐसे मृतक आश्रित कर्मचारी जिन्होंने राज. मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के नियम 9 (ii) के अनुसार निर्धारित समायावधि में प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या कम्प्यूटर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, को समयावधि पश्चात टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम दो अवसर सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा दिया जावेगा। किन्तु अवसर दिये जाने से पूर्व प्रशासनिक विभाग के सचिव का यह दायित्व होगा कि वह प्रथमतः मृतक आश्रित कर्मचारी की टंकण गति संतोषजनक पाये जाने की सुनिश्चितता करेंगे। इसके उपरान्त भी कर्मचारी यदि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है तो प्रकरण कार्मिक विभाग को प्रस्तुत किया जावेगा।

प.3(1) कार्मिक/क-2/2013 पार्ट दिनांक 28.05.2018)

टंकण परीक्षा जयपुर में भाषा विभाग तथा अन्य जिलों में जिला कलेक्टर द्वारा गठित परीक्षा आयोजन समिति द्वारा ली जावेगी। (प 3 (1) कार्मिक/क-2/2013/ दि.21.6.2017)

31 दिसम्बर 2016 एवं इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों पर वर्तमान में अपनायी जा रही कार्यवाही प्रचलन में रहेगी।

(प 3(1)कार्मिक/क-2/2013 दिनांक 6.12.2019)

राज्य कर्मचारियों के पदीय कर्त्तव्यों की पालना के दौरान वध होने पर आश्रित की नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति से ग्रेड वेतन सं. 11 से 12 तक (3200 रु. से 3600 रु. तक) में नियुक्ति पर विचार किया जा सकेगा।

(एफ.5(51)कार्मिक/क-2/88 2.8.01 एवं दि. 25.4.2012)

चतुर्थ श्रेणी सेवा में नियुक्ति के लिये विचार करते समय पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जायेगी।

इन नियमों के अधीन किसी पद पर एक बार नियुक्त कर दिये जाने पर, इन नियमों के अधीन आश्रित प्रसुविधा उपभोग मान ली जावेगी तथा किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य पद पर नियुक्ति के लिए पुनः विचार नहीं किया जायेगा।

किसी आश्रित की नियुक्ति किये जाने से पूर्व, नियुक्ति प्राधिकारी उसके चरित्र, शारीरिक योग्यता तथा सम्बन्धित नियमों में वर्णित अन्य सामान्य शर्तों के अनुसार यह देखेगा कि वह सरकारी सेवा में नियुक्ति के उपयुक्त है या नहीं।

आयु - नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त करने की दिनांक से आयु की संगणना की जावेगी। विधवा के लिये अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी तथा अन्य के लिये निर्धारित सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जावेगी या 40 वर्ष की आयु तक जो भी कम हो, होगी।

सरकारी कर्मचारी के निधन के 90 दिन की कालावधि के भीतर आश्रित को राजकीय सेवा के लिये आवेदन पत्र

yashvant jangid

Scanned by CamScanner

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को देना होगा। आश्रित को निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन देना होगा। नियम-8

परन्तु किसी आपवादिक मामले में, जहां राज्य सरकार के कार्मिक विभाग को यह समाधान हो जाता है कि इस उप-नियम के उपबन्धों का प्रवर्तन मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को वित्तीय कठिनाई पैदा करता है और किसी मामले विशेष में इस उप-नियम के उपबन्धों को शिथिल किया जाना आवश्यक या समीचीन समझा जाता है तो वह इस उप-नियम के उपबन्धों को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो वह उस मामले के न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण रहते हुए, जो निपटाने के लिए आवश्यक समझे शिथिल कर सकेगा। (नियम 10(3))

(एफ.5(51)कार्मिक/क-2/88 दि. 11.9.2002)

विभिन्न कारणों से आश्रितों द्वारा निर्धारित अवधि के पश्चात् आवेदन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विलम्ब अवधि में शिथिलन प्रदान किया जाता है। ऐसे शिथिलन प्रदान किये गये प्रकरणों में मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित को शिथिलन प्रदान करने की तिथि में 3 माह की अवधि में आवश्यक रूप से नियुक्ति प्रदान की जावें।

(प.2(5)कार्मिक/क-2/2002 दिनांक 8.4.2002)

योग्यता - मृतक आश्रित की लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकेन्डरी या समतुल्य परीक्षा और कम्प्यूटर की योग्यता आवश्यक है। मृतक आश्रित को परिवीक्षाकाल में अर्थात 2 वर्ष में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करना अनिवार्य है और यदि वह उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है तो जितनी विलम्ब अवधि से कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा उसका परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि के लिये आगे बढ जायेगा। उसे नियमित वेतन श्रृंखला उस दिनांक से देय होगी जिस दिनांक को उसके द्वारा कम्प्यूटर योग्यता अर्जित की गई है

(प 3(1) कार्मिक/क-3/2013 दिनांक 4.5.2017)

अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी विधवा को कनिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति हेतु कम्प्यूटर योग्यता में छूट।

(एफ 7(2)कार्मिक/क-2/2006 पार्ट III दिनांक 21.10.2019)

अनुकम्पात्मक नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करने पर दूसरे आश्रित की नियुक्ति पर विचार-

आश्रित जो अनुकम्पात्मक नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करता है तो दूसरे आश्रित की नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकेगा यदि वह उस तारीख से, जिसको नियुक्त व्यक्ति द्वारा पूर्वतर नियुक्ति आदेश प्राप्त किया गया था, 90 दिवस के भीतर आवेदन करता है।- (एफ 5 (51) कार्मिक/क-2/88 पार्ट दिनांक 25.4.2012)

उक्त सभी नियम वर्कचार्ज सेवा में भी लागू होगें।

(आ. दि. 4.3.99)

मृतक कर्मचारी के आश्रित को पारिवारिक पेंशन पर परिवीक्षाधीन अवधि में फिक्स मानदेय के साथ महंगाई राहत के समान अनुग्रह भत्ता देय होगा। ये आदेश 20 जनवरी 2006 से प्रभावी होंगे।

एफ 12(4) वित्त/नियम/2008/आरएसआर-2/11 दि. 4.3.11 एवं 21.9.12

अधिशेष कार्मिक के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति - यदि राज्य कर्मचारी के अपने पैतृक विभाग से अधिशेष होने के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नये विभाग में समायोजन के आदेश जारी कर दिये जाते हैं किन्तु अधिशेष कर्मचारी की नये विभाग में कार्यभार संभालने से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है तो ऐसे अधिशेष कर्मचारी के प्रकरण में इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति का लाभ हेतु पूर्व विभागाध्यक्ष जहाँ से कर्मचारी अधिशेष घोषित हुआ, को निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प्रस्तुत करेगा और सम्बन्धित विभागाध्यक्ष इन नियमों में निर्धारित प्रक्रियानुसार नियुक्ति सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण करेगा।

(प.1(14)साप्र/3/78/दि.12.7.2004)

अनुकम्पात्मक नियुक्त कार्मिक की नियमित नियुक्ति, स्थाईकरण, पदोन्नति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण :-

क्रमांक	बिन्दु	स्पष्टीकरण
1.	मृतक आश्रित कर्मचारी की नियुक्ति नियमित कब से होगी।	अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के तहत नियुक्त कर्मचारी की नियमित नियुक्ति कार्यग्रहण दिनांक से ही मानी जावेंगी।
2.	मृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करने के संबंध में।	नियुक्ति के समय कम्प्यूटर अर्हता पर जोर नहीं दिया जायेगा। मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को परिवीक्षा की कालावधि के भीतर सुसंगत नियमों में यथाविहित कम्प्यूटर अर्हताओं में से कोई अर्हता प्राप्त करनी होगी।
3.	मृतक आश्रित कर्मचारी की वरिष्ठता के संबंध में।	मृतक आश्रित कर्मचारी की वरिष्ठता, कार्यग्रहण दिनांक से ही मानी जावेगी।
4.	मृतक आश्रित कर्मचारी के परिवीक्षाकाल के संबंध में।	मृतक आश्रित कर्मचारी का परिवीक्षाकाल भी सीधी भर्ती में नियुक्त कर्मचारी की भांति दो वर्ष का होगा किन्तु यदि वह दो वर्ष में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है, तो उसका परिवीक्षाकाल अधिसूचना दिनांक 02.01.2017 के प्रावधानानुसार उतनी ही अवधि का बढाया हुआ समझा जावेगा जितनी अवधि में वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करता है।

Scanned by CamScanner

	मृतक आश्रित कर्मचारी के स्थायीकरण के संबंध में।	मृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करने के पश्चात् परिवीक्षाकाल संतोषजनक होने पर उसका स्थायीकरण किया जावेगा।
	मृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा प्रशिक्षण/विभागीय परीक्षा / टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के संबंध में।	जब तक वह ऐसी अर्हताएं अर्जित नही कर लेता है तब तक उसे कोई वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जायेगी। ऐसी अर्हताएं अर्जित करने पर उसे नियमानुसार काल्पनिक रूप से वेतन वृद्धि देय होगी तथा कोई नकद संदाय नहीं किया जायेगा।
	मृतक आश्रित कर्मचारी की पदोन्नति के संबंध में।	मृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा यदि नियमानुसार कम्प्यूटर योग्यता / टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई है, तो उसकी पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर नियमानुसार देय है। किन्तु यदि उसने नियमों में विहित कम्प्यूटर योग्यता/टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, तो इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है. कि जब तक मृतक आश्रित कर्मचारी के द्वारा कम्प्यूटर योग्यता व टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नही कर ली जाती है, तब तक उसे पदोन्नति देय नहीं होगी और जैसे ही वह कम्प्यूटरयोग्यता/ टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, उसके बाद आने वाली अप्रैल के प्रथम दिन की स्थिति में उसे नियमानुसार पदोन्नति देय होगी। उदाहरणार्थ-किसी कर्मचारी की नियुक्ति तिथि 5.8.2010 है. और उसके द्वारा अनुकम्पा नियम 1996 के नियम 9 के अनुसार कम्प्यूटर योग्यता/ प्रशिक्षण/विभागीय परीक्षा या टंकण परीक्षा दिनांक 5.8.14 को अर्जित की गई है तो उसे पदोन्नति 5.8.2014 के पश्चात आने वाली अप्रैल की स्थिति में देय होगी।
8.	मृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा निर्धारित योग्यता अर्जित नहीं करने की स्थिति में पद सुरक्षित रखे जाने के संबंध में।	मृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा निर्धारित योग्यता अर्जित नहीं करने और उससे कनिष्ठ के पदोन्नत होने की स्थिति में ऐसे कर्मचारियों के लिए पद सुरक्षित नहीं रखा जायेगा एवं बिन्दु संख्या 07 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

महत्वपूर्ण आदेश -

1. अनुकंपात्मक आधार पर नियुक्त व्यक्ति परिवार के उन सदस्यों का, जो मृत सरकारी कर्मचारी पर आश्रित थे, उचित तौर पर भरण-पोषण करेगा ऐसा नहीं करने पर उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी। (एफ.5(51)कार्मिक/क-2/88 दि. 27.2.01)

2. मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति हेतु निर्धारित आवेदन पत्र उत्तरजीवी पति या पत्नी को भेजा जावे। (प.5(51)कार्मिक/क-2/88 दि. 7.6.01)

3. नियमित किये हुए मृतक हैण्ड पम्प मिस्त्रियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दी जा सकेगी। (एफ.1(8)ग्रा.वि.प./पी.एच.ई./मृतक कर्म./99-2000/241 दि. 15.2.2002)

4. राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति की समय सीमा निर्धारित। (आदेश दिनांक 4.4.2007 लेखानियम अगस्त 07 पृ.18)

5. अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी सहित जो परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कम से कम एक वर्ष की लगातार सेवा कर चुका हो की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति मिलेगी। (एफ.7(2)कार्मिक/क.-2/2005 दिनांक 26.4.2011)

6. राज्य के सशस्त्र बलों के सदस्य जो युद्ध/विद्रोहियों से संघर्ष में शहीद/अशक्त सैनिकों की आश्रित पत्नी जो क. लि. के पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त है को टंकण परीक्षा से छूट (प. 5(3) कार्मिक/क-2/94 पार्ट दिनांक 6.12.2012)

7. अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त कार्मिक की टंकण परीक्षा वर्ष में तीन बार (जनवरी, मई व सितम्बर) आयोजित की जायेगी। (प.3(1)कार्मिक/क-2/2013 दिनांक 26.8.2015 एवं 21.6.2017)

परिवीक्षाधीन अवधि में कार्मिक की मृत्यु होने पर आश्रित को नियुक्ति मिलेगी (प.3(1)कार्मिक/क-2/2013 दिनांक 22.05.2012)

8. 12वीं कृषि विज्ञान से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड III के पद पर शिक्षा विभाग में अनुकम्पात्मक नियुक्ति हो सकेगी। (शिविरा माध्य/संस्था/एफ 1/12247/मृरा.आ/अनु/नियु./-प्र.शा.स. III/2019/126 दिनांक 2.4.2019)

Scanned by CamScanner